U;k;ky; lgk;d dyDVj ,oa mi[k.M vf/kdkjh]
fcykM+k] ftyk tks/kiqj

पीठासीन अधिकारी :— रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 52/2018

izkFkhZx.k

1. मंगलाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकाम :—
1/1 राजूराम पुत्र मंगलाराम
1/2 कल्याणराम पुत्र मंगलाराम
1/3 महेन्द्र पुत्र मंगलाराम
1/4 पुष्पा पुत्री मंगलाराम उम्र 16 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम
1/5 श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम जातियान पटेल निवासीगण वार्ड संख्या 25 उचियार्डा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
2. श्रीमती गणकी पत्नी राजूराम जाति पटेल निवासी वार्ड संख्या 25 उचियार्डा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा

cuke

vizkFkhZx.k

1. श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी सांगरिया बाईपास शंकरनगर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
2. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी भिदावतों का अरट कल्पवृक्ष, के आगे नहर के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

izkFkZuk i= vUrxZr /kkjk 212
jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1956

— — — — —

mifLFkfr%& प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार।

%% vkns'k %% fnukad

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी टीलाराम, लादूराम, जोराराम

पिसरान सुजानराम जातियान सीरवी निवासीगण बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा के नाम से थी एवं तीनों का इस भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा था। उनकी खातेदारी की भूमि का पहले एक ही चक था। तीनों तीस साल पहले अलग अलग हुये एवं अपनी भूमि का पारिवारिक बंटवाड़ा किया। पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार उन्होने अपनी इस भूमि के तीन हिस्से कर लिये, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 6071 के पश्चिमी हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि टीलाराम के रखी गई तथा खसरा नम्बर 6071 के पूर्वी हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि लादूराम के रखी गई तथा खसरा नम्बर 6071 के पूर्वी पश्चिमी हिस्से के बीच में 1/3 हिस्से की भूमि जोराराम के हिस्से में रखी गयी। जिसका नजरी नक्शा दावा के साथ संलग्न है, जिसे दावा का अभिन्न अंग समझा जावे। विवादग्रस्त भूमि के सयुक्त खातेदार लादूराम पुत्र सुजानराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि की जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी संख्या 1 मंगलाराम पुत्र पेमाराम के पक्ष में कर दी एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2233 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा में से 1/3 हिस्सा जो लादूराम के कब्जे काश्त एवं हिस्सा का था वो प्रार्थी संख्या 1 मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जिस पर कब्जा काश्त प्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है तथा इस वर्ष उसने ज्वार की फसल को बोया है एवं उक्त भूमि पर काबिज है। इसी प्रकार विवादित भूमि के सयुक्त खातेदार टीलाराम पुत्र सुजानराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि की जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी संख्या 2 गणकीदेवी पत्नी राजूराम के पक्ष में कर दी एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2241 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा में से 1/3 हिस्सा श्रीमति गणकी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जिस पर कब्जा व काश्त प्रार्थी संख्या 2 का चला आ रहा है तथा इस वर्ष उसने ज्वार की फसल को बोया है एवं उक्त भूमि पर काबिज है। विवादग्रस्त भूमि के सयुक्त खातेदार जोराराम पुत्र सुजानराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बख्शीश अपने पुत्र राजेन्द्र राठौड़ के पक्ष में कर दिया, जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1757 स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात् राजेन्द्र राठौड़ पुत्र जोराराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी चम्पालाल के पक्ष में कर दिया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 2271 स्वीकृत किया गया है। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति दुर्गादेवी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का

बैचान दिनांक 03.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 सुनील कुमार के पक्ष में कर दिया गया है। जो अप्रार्थी संख्या 2 सुनील कुमार एक अजनबी क्रेता है। अभी दिनांक 07.10.2018 को विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर अप्रार्थी संख्या 2 मौके पर दस पन्द्रह आदमियों को साथ में लेकर आया और प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खड़ी ज्वार की फसल को काटना शुरू कर दिया जिस पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 2 को ऐसा कृत्य करने से रोका तो अप्रार्थी संख्या 2 तथा उसके पिता ओमप्रकाश ने प्रार्थी संख्या 1 व 2 को धमकी देते हुए कहा कि आपने भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में 2/3 हिस्से बाबत् का आममुख्त्यार मुझअप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया है, आपने मुझअप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में लिखे गये इकरारनामा, आममुख्त्यारनामा दिनांक 22.09.2018 को निरस्त कैसे कर दिये है, विवादित सम्पूर्ण भूमि मेरी है, आपकी भूमि पर जबरन कब्जा व काश्त कर लूंगा, आप विवादित भूमि को छोडकर चले जावों, यह सुनकर प्रार्थीगण बड़े आश्चर्यचकित हुये। फिर भी वो जबरदस्ती प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है तथा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज कराने पर उतारू है। अतः उन्हे रोकने के लिए प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का है। मौके पर विवादग्रस्त भूमि के तीन हिस्से अलग अलग किये हुये है, जिसके अनुसार पश्चिमी हिस्से के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 का तथा पूर्वी हिस्से के 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का एवं पूर्वी पश्चिमी हिस्से के बीच वाले भाग के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 का कब्जा व काश्त निर्बाध रूप से अलग–अलग चला आ रहा है, लेकिन विवादित भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से आज दिन तक कब्जे अनुसार का बंटवाड़ा नही किया जा सका है। अतः प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि का बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। दावे की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2द्वारा बिना बंटवाड़ा करवाये विवादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को खुर्द बुर्द किया जा सकता है। बीना बंटवाड़ा करवाये मौके पर निर्माण कार्य किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी एवं उनका यह दावा करना ही निरर्थक हो जायेगा। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया

कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वो ताफैसला दावा भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके मौजा ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे तथा इस भूमि के किसी भी भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करने का आदेश फरमावे।।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही इनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध तारीख पेशी दिनांक 11.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण तारीख पेशी दिनांक 11.02.2020 को इनका जवाब बंद किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :—

izFke n"V;k ekeyk] lqfo/kk dk lUrqyu o viw.kZuh; {kfr %& प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि का रेकर्डेड सयुक्त खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि में बंटवाडा एवं

स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। प्रार्थी सयुक्त खातेदारी भूमि में रेकर्डेड खातेदार है। अगर सयुक्त खातेदारी की भूमि में से किसी प्रकार से बैचान, हस्तान्तरण, निर्माण कर लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को हो जायेगी। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इनका जवाब बंद किया गया। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नही हुआ अतः मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है।

vkns'k

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 11/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा